

५७



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/२०१७ विविध

विवि४- १० १६-PBR-११

(प्रकरण क्रमांक १८८९-पीबीआर/२०१९ पुनरावलोकन)

श्रीमती आराधना गौतम पत्नी अरुण गौतम
निवासी-१२४-६ए साकेत नगर, भोपाल-२४

विरुद्ध

मध्यप्रदेश स्टैट एंग्रो इण्डस्ट्रीज डबलप कॉरपोरेशन,
पंचानन भवन, तृतीय तल मालवीय नगर, भोपाल

श्री
द्वारा आज दि
प्रस्तुत
कर्तव्य कोड
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक-१८८९-पीबीआर/२०१९ को पुनः स्थापित किये जाने हेतु
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-३२ म.प्र.भू-राजस्व संहिता १६५६ एवं संहिता की धारा-६ के
अंतर्गत निर्मित राजस्व मण्डल की कार्यप्रणाली का नियम-३२.

माननीय न्यायालय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है-

१. यह कि, आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ६५६-पीबीआर/२००६ में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन आवेदन अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत किया था।

२. यह कि, आवेदक के अभिभाषक ग्वालियर के ही है उन्होने आवेदक को आश्वासन दिया था कि प्रकरण में सुनवायी हेतु दिनांक नियत होने पर सूचित किया जायेगा।

३. यह कि, आवेदक के अभिभाषक ने आवेदक को दिनांक १५/१२/२०१६ को फोन पर सूचित किया कि इंटरनेट पर अन्य प्रकरणों की जानकारी लेते समय उन्हें ज्ञात हुआ कि आवेदक का पुनरावलोकन आवेदन दिनांक १०/११/२०१६ को निरस्त कर दिया गया है एवं उन्होने आदेश की सत्य प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

६७
११-१२

ज्ञात अनुसार
११-१२

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9016—पीबीआर / 17

जिला भोपाल


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

9-2-2017

आवेदिका की ओर से श्री एस०के० बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित। उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया। न्यायहित में पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का मूल प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1885—पीबीआर / 2011 पुनर्स्थापित करते हुए यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

